न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर कम्प कोर्ट भावी

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 22/2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. भागीरथ पुत्र दौलाराम 2. प्रेमसिंह पुत्र दौलाराम जातियान जाट (सोऊ) निवासीगण भावो तहसील बिलाड़ा		1. तेजाराम पुत्र सुखदेव जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर 2. गोपाराम पुत्र हराराम जाति जाट (सोऊ) निवासी भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 3. गणपत पुत्र भूराराम 4. रामुड़ी पत्नी भूराराम जातियान जाट (कावा) निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा जिला जोधपुर 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 3 से 4 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद बोराणा
अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी संख्या–6 सरकारी पेरोकार

निर्णय **दिनांक :–**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हेक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है।

प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हेक्टेयर के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 के पूर्वी दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हैक्टेयर स्थित ह, जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हक्टेयर के पूर्वी दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 3,4 सयुक्त खातेदारी की है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हैक्टेयर के पूर्वी दि”ाा को ओर खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 3,4 की संयुक्त खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 के दक्षिणी दि”ाा तथा अप्रार्थी संख्या 2 के दक्षिणी–उतरी दि”ाा तथा अपार्थी 3,4 के दक्षिणी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में खसरा नम्बर 183 रकबा 3.4706 गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ता केरिया नाडा से बोयल जाने वाला आया हुआ है।उक्त खसरा नम्बर 183 गर मुमकीन रास्ता पर मुडिया सड़क बनी हुयी है जिसके ठीक पूर्वी दि”ाा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हेक्टेयर मे का”त कार्य करने हेतु पहुचते है इसी प्रकार अप्रार्थी सख्या 2 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हेक्टेयर में का”त कार्य करने हेतु पहुचते है, इसी प्रकार अप्रार्थी सख्या 3,4 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हेक्टेयर, खसरा नंबर 224/1 रकबा 0.3721 में का”त कार्य करने हेतु इसी रास्ते से होकर पहुचते है, इसी प्रकार प्राथीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हेक्टेयर में का”त कार्य करने हतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हेक्टेयर में स्थित मार्क ABCD स्थित आम रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 0.8899 हेक्टेयर में स्थित मार्क EFGHI

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

स्थित आम रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 3,4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हक्टेयर में स्थित मार्क JKLM आम रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 3,4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हक्टेयर में स्थित मार्क NOPQ आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ABCD EFGHI JKLM NOPQ के रास्ते से प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 224 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक”ाा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 205, 207/2, 226, 224/1 के मार्क ABCD EFGHI JKLM NOPQ भाग के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 224 में जान हेतु भूमि खसरा नम्बर 205, 207/2, 226, 224/1 के ABCD EFGHI JKLM NOPQ भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 224 में जाने हेतु प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मवे”ाी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 205, 207/2, 226, 224/1 क ABCD EFGHI JKLM NOPQ भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षो से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है, इस कारण प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 205, 207/2, 226, 224/1 के ABCD EFGHI JKLM NOPQ भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 205, 207/2, 226, 224/1 के ABCD EFGHI JKLM NOPQ भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थीगण बन्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपने खेत की बुवाई व का”त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मु”िकल हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति [illegible] होगा। प्रार्थीगण का यह ABCD EFGHI JKLM NOPQ मार्ग [illegible] रास्ता [illegible] आव”यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 205, 207/2, 226,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

224/1 के ABCD EFGHI JKLM NOPQ में स्थित मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक”ाा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवान हेतु का यह प्रार्थना पत्र पे”ा करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हेक्टयर में स्थित ABCD मार्क तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हेक्टेयर में स्थित EFGHI मार्क तथा अप्राथी संख्या 3,4 की भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हेक्टेयर में स्थित JKLM मार्क तथा अप्रार्थी संख्या 3,4 की भूमि खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हेक्टेयर में स्थित NOPQ मार्क की 18 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्राथी संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होनें के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पे”ा किया तथा अवसर प्रदान करने के बावजद जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया अप्रार्थी संख्या 3 से 4 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या–5 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाहो अमल मे लायी गयो। अप्रार्थी संख्या–6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने जवाब इस आधार का पेश किया कि पद संख्या – 1 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हैक्टेयर जरूर आयी हुई है।पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हेक्टेयर के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर 205 [illegible] 1.7394 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की [illegible] इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हेक्टेयर के पूर्वी दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हैक्टेयर स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हैक्टेयर के पूर्वी दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 3, 4 की सयुक्त खातेदारी की है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हैक्टेयर के पूर्वी दि”ाा की ओर खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 3, 4 की संयुक्त खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 के दक्षिणी दि”ाा तथा अप्रार्थी संख्या 2 के दक्षिणी–उतरी दि”ाा तथा अप्रार्थी 3, 4 के दक्षिणी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में खसरा नम्बर 183 गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ता पर मुडिया सड़क बनी हुयी है जो केरिया नाडा से ग्राम बोयल तक जाती है। उक्त खसरा नम्बर 183 गैर मुमकीन रास्ता के ठीक पूर्वी दि”ाा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हेक्टेयर मे का”त कार्य करने हेतु पहुचते ह इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हेक्टेयर में का”त कार्य करने हतु पहुचते है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3, 4 अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हेक्टेयर, खसरा नंबर 224/1 रकबा 0.3721 में का”त कार्य करने हेतु इसी रास्ते से होकर पहुचते ह, इसी प्रकार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हेक्टेयर में का”त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हेक्टेयर में स्थित मार्क ।ठब्क स्थित आम रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 0.8899 हेक्टेयर में स्थित मार्क ब्क्म् स्थित आम रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 3,4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हेक्टेयर में स्थित मार्क श्रज्ञस्ड आम रास्ता से तथा अप्रार्थी संख्या 3,4 की खातेदारी भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हेक्टेयर में स्थित मार्क NOPQ आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ABCD EFGHI JKLM NOPQ के रास्ते से प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 224 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, पद संख्या 4 प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हैक्टेयर की भूमि अप्रार्थी संख्या 3, 4 की खातेदारी की है। उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 205, 207/2, 226, 224/1 का उपयोग मात्र रास्ता हेतु काम में लिया जा रहा है। अतः भूमि खसरा नम्बर 226 के मार्क JKLM तथा खसरा नम्बर 224/1 के मार्क NOPQ को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाता है तो अप्रार्थी सख्या –3 को कोई आपति नहीं है। पद संख्या –5 प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 226 के मार्क JKLM तथा खसरा नम्बर 224/1 के मार्क NOPQ को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावें, जिसमें अप्रार्थी संख्या–3, 4 को कोई आपति नहीं है।पद संख्या–6 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 226 के मार्क JKLM तथा खसरा नम्बर 224/1 के मार्क NOPQ की भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में राजकीय रास्ता दर्ज करने में अप्रार्थी संख्या–3, 4 को कोई आपति नहीं है।

अन्त में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया को राजस्व रेकड जमाबंदी में खसरा नम्बर 226 मार्क JKLM तथा खसरा नम्बर 224/1 के मार्क NOPQ की भ्मि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाव।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में धारा 251 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु का तहसीलदार बिलाडा को आदे”ा दिया गया, जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने भू अभिलेख निरीक्षक भावी को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदे”ा दिया। जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट [illegible] 30.09.2021 को पे”ा की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गयी। अपार्थी संख्या 6 ने जवाब पेश [illegible] जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 224 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा, पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. की दर **10,488/–** रूपये बनती है, जो मौका कमी"नर की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार बिलाड़ा से माका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदे"ा दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पे"ा की गयी, जो माका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पे"ा की गयी कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हक्टेयर के कोई वैकल्पिक रास्ता नही है एवं न ही राजस्व रेकर्ड (नक"ाा लट्ठा) अनुसार कोई कटाणी रास्ता लगता है। खसरा नम्बर 183 गै.मु. रास्ता केरिया नाड़ा से बोयल जाने वाला रास्ता तक का नजरी नक"ाा में प्रस्तावित रास्ता द"ााया गया है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :–

क्रस	**खातेदार का नाम व पता**	**खसरा नम्बर**	**रकबा बीघा में**	**रास्ते की चौड़ाई फीट में**	**प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा**	**डी.एल. सी. दर**	**रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत**
1.	तेजाराम पुत्र सुखदव जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर सा. देह	205	1.7394 हक्टयर	**2 गट्ठा**	**20गट्ठा X 2गट्ठा = 40 वर्गगट्ठा**	**39150**	**7830**
2	गोपाराम पुत्र हराराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा सा.देह	207/2	0.8899 हैक्टयर				
3	गणपत पुत्र भूराराम रामूड़ी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा	226	1.6908 हक्टयर				

उपरोक्त प्रपत्र में द"ाये अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 के खेत खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हैक्टयर में से 8 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या–2 के खेत खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हैक्टयर में से 5 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या–3, 4 व खेत खसरा [illegible] 226 रकबा 1.6908 हैक्टयर में से 8 बिस्वा भूमि कटाणी रास्ता हेतु दिया जाना प्रस्तावित है। [illegible] नक"ाा नकल म लाल स्याही से द"ााया जाकर संलग्न किया जा रहा है। जिसे फर्द मौका का अभिन्न अंग समझा जावेगा। वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित रास्ता भूमि पर रास्ता नही चल रहा है एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 224 के कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही लगता है। फर्द मौके पर ही तैयार की गयी और उपस्थितान के हस्ताक्षर किये गये। अप्राथीगण सूचना उपरान्त मौके पर उपस्थित नही आय। मौका फर्द रिपोर्ट को रेकर्ड पर लिया गया।

न्यायालय के पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से उक्त अनवान के मामलें में मौका कमी”नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदे”ा दिया जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा न पत्र क्रमांक............दिनांक .... को रिपोर्ट पे”ा की। जो इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 224 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा, पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. की दर .... रूपये बनती है, जो मौका कमी”नर की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते की डी.एल.सी. दर की दुगुनी रा”ि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को जरिये चैक अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 6 को ओर से सरकारी पैरोकार ने मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर बहस की गयी और मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार आदे”ा फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 0.2589 हैक्टयर में प्रार्थी को का”त कार्य करने हेतु खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हैक्टैयर के ए.बी.सी.डी.,खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हैक्टैयर के ई.एफ.जी.एच.आई., खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हैक्टेयर के जे.के.एल.एम., खसरा नम्बर 224/1 रकबा 0.3721 हैक्टेयर के एन.ओ.पी.क्यू. भाग से होकर हो रास्ता चलता है जो खसरा नम्बर 224 में पहुचता है मौका कमी”नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 224 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

कृषि कार्य करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आस–पास उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 224 में का”त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर का”त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आव”यकता ह, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 30.09.2021 एवं उसके साथ पे”ा किया गया संलग्न नजरी नक्शा में द”ार्ये वांछित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के खेत खसरा नम्बर 205 रकबा 1.7394 हैक्टयर में से 8 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या–2 के खेत खसरा नम्बर 207/2 रकबा 0.8899 हैक्टयर में से 5 बिस्वा, अप्रार्थी संख्या–3, 4 के खेत खसरा नम्बर 226 रकबा 1.6908 हैक्टयर में से 8 बिस्वा रास्ता में समाविष्ट भूमि को राजकीय रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को डी.एल.सी. की दुगुनी दर से उक्त रा”ि का चैक अदा कर इस न्यायालय को रसीद पे”ा करेंगे जिसमें अपार्थीगण को रास्ते में दी गयी भूमि के बदले रा”ि भुगतान की जा सके जो रा”ि निम्न अनुसार है :–

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डी.एल. सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	तेजाराम पुत्र सुखदव जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर सा. देह	205	1.7394 हक्टयर	**2 गट्ठा**	**20गट्ठा X 2गट्ठा = 40 वर्गगट्ठा**	**39150**	**7830**
2	गोपाराम पुत्र हराराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा सा.देह	207/2	0.8899 हैक्टयर				
3	गणपत पुत्र भूराराम रामूड़ी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा	226	1.6908 हक्टयर				

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested

भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्”ाा दिनांक 30.09.2021 को इस आदे”ा के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्”ाा (मय तरमोम) के साथ पे”ा करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:54 IST
Reason: SelfAttested